

Tokgijyky ug# d'k fo"ofok |ky;] tcyij

gkVdYpj (m |kfudh) fMlykek iKB; dE ea iD'sk grq (o"K 2009&2010)

fo"ofok |ky; }kjk l pkfyr 'kqf.kd l = 2009&2010 dsfy, "m |kfudh 0; kol kf; d f"K{k.k l l.Fkku] juxq/k x<kdkk/k] ftyk&l kxj (e0i0) ea nks o"Kz (4 l eLvj) gkVdYpj fMlykek (D.Hort.) iKB; dE ea iD'sk grqvkonu vkef=r fd; s tkrs gSA iKB; dE dk ek/; e fglnh gksk A

mijkDr fMlykek fuEu nks iKB; dE ea miyC/k gSA

- 1- ul jh eustelV (i kK"kkryk izcaku) & iD'sk {kerk & 25
- 2- l hM i kMD"ku (cht mRiknu) & iD'sk {kerk & 25

vH; kFkz dks e/; i n'sk dk ey fuokl h gksk vko'; d gS A vH; kFkz 12oha vFkok mPprj ek/; fed ijh{k (10+2) d'k@xf.kr@tho foKku fo"K; l sU; ure 50 ifr'kr vadka l smRrh.kz gksk pkfg, A vkond dh U; ure vk; q vkonu frffk rd 17 o"K l s de ugh gk; rFk vkond 'kkjhjd #i l s LoLFk gks A vH; kFk; ka dks iD'sk esjV vk/kkj ij fn; k tkoxkA vu@tkfr] vu@tutkfr rFk vU; fi NMk oxL dks e0i0"kk l u ds fu; ekuq kj vkj {k.k fn; k tkoxk A

mijkDr fMlykek iKB; dE dh l {klr tkudkj h , oavkonu i = iklr djus dsfy, #0 150@& (#0 , d l k sipk l) dk i kLvy vkMj ; k cbl fMek.M MkQV] tks "tokgijyky ug# d'k fo"ofok |ky;] tcyij" dks ns gk; tek dj dyl fpo] (jftLVkj) dk; k; y;] t0u0d'k fo"ofok |ky;] tcyij vFkok i kKjh oKkfud "m |kfudh 0; kol kf; d f"K{k.k l l.Fkku]" juxq/k] x<kdkk/k] ftyk&l kxj (e0i0) l s iklr fd; s tk l drs gA mijkDr vkonu i = , oal {klr tkudkj h] fo"ofok |ky; dh ocl kbV www.jnkvv.nic.in ij Hkh miyC/k g; vH; kFkz ocl kbV l s Hkh vkonu i = MkmuykM dj fu/kkjr #0 150@& dk i kLvy vkMj ; k cbl fMek.M MkQV] l yXu dj Hkst l drs g; di; k fyQkQs ij "fMlykek iKB; dE grqvkonu vdr djs A iwK #k l s Hkjs gq s vkonu i = fnukd 20- vxLr 2009 dks l k; a 5-00 cts rd dk; k; y;] vFk/Bkrk] d'k l d; k;] tokgijyky ug# d'k fo"ofok |ky;] tcyij (e0i0) ea tek dja foyEc l s iklr gks okys vkonu i = k s ij dkbZ fopkj ughafd; k tkoxk

dyl fpo] Tk0u0d'k fofo0 tcyij

**उद्यानिकी विषय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के लिए संक्षिप्त
जानकारी
एवं आवेदन पत्र
2009-2010**

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय-संक्षिप्त विवरण

भारत के हृदय स्थल में स्थित, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से अलंकृत, प्रदेश के एक मात्र बहु इकाई बृहत कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का उद्घाटन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के करकमलों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 2 अक्टूबर 1964 को सम्पन्न हुआ । यह विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी चुनौतियों को बड़े उत्तरदायित्व के साथ संभाल रहा है । वर्तमान में, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चार कृषि महाविद्यालय, क्रमशः जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा (विदिशा), एक कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर एवं दो पशुपालन एवं पशुचिकित्सा महाविद्यालय, क्रमशः जबलपुर एवं रीवा में कार्यरत है । इसके अतिरिक्त शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के माध्यम से प्रदेश के उत्पादन, उत्पादकता एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन तंत्र तथा ग्रामीण जीवन शैली की समग्र विकास हेतु 4 आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, 4 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, 4 कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं 20 कृषि विज्ञान केन्द्र प्रदेश के 6 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है ।

इसके अतिरिक्त कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान एवं शिक्षण केन्द्र सुव्यवस्थित तंत्र की भांति कार्यरत है । गत चार दशकों में विश्वविद्यालय ने स्वविकसित सशक्त विविध संरचना एवं मानव संसाधन विकसित किया है जो कृषि क्षेत्र की संभावित तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है । जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के कार्य प्रबंधन में कुशल मानव संसाधन भी तैयार किया है जिसने प्रदेश के कृषि विकास एवं पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित अनुसंधान तथा कृषक वर्ग में उसके समुचित प्रसार ने सार्वभौमिक विकास के रूप में फसलों एवं दुग्धादि पशु उत्पादों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है ।

शिक्षण :-

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों की उच्चस्तरीय शिक्षा एवं अनुसंधान के रूप में सेवायें देना तथा अनुशासित प्रौद्योगिकी का कृषकों, विस्तार कार्यकर्ताओं एवं विविध कृषि विकास कार्यक्रमों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं तक प्रचारित एवं प्रसारित करना है । मध्यप्रदेश को “सोयाबीन राज्य” का दर्जा दिलाने में इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

इस विश्वविद्यालय में तीन संकाय – कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन तथा कृषि अभियांत्रिकी, कमशः चार स्नातक उपाधियां – बी.एस.सी. (कृषि), बी.एस.सी. (वानिकी), बी.व्ही.एस.सी. एवं ए.एच. तथा बी.टेक. प्रदत्त करते हैं । विभिन्न संकायों में 36 स्नातकोत्तर विभाग हैं जो एम.एस.सी. (कृषि), एम.बी.ए. (कृषि), एम.व्ही.एस.सी., एवं ए.एच., जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करते हैं

विश्वविद्यालय ने स्थापना से लेकर वर्ष 2007–08 तक लगभग 15,770 स्नातक, 6,189 स्नातकोत्तर, 101 एम.बी.ए. तथा 302 पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की है, जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देश एवं विदेशों में दे रहे हैं ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के पहले “उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान” की स्थापना का भूमि पूजन दिनांक 14 अप्रैल 2008 को तत्कालीन कृषि व सहकारिता मंत्री पं.गोपाल भार्गव के कर कमलों द्वारा माननीय कुलपति प्रो. गौतम कल्लू की गरिमामय अध्यक्षता में संपन्न हुआ । इस संस्थान में “पौधशाला प्रबंधन” एवं “बीज उत्पादन” विषयों में 2 वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2008–09 से प्रारंभ किया गया । वर्तमान में संस्थान में 44 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ।

प्रवेशप्रक्रिया एवं सीटों की संख्या :-

पूर्वोक्त चार स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश-परीक्षा (पीएटी/पीईटी/पीएमटी) के द्वारा होता है जबकि पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

उद्यानिकी डिप्लोमा (सीट संख्या)

50 (25 + 25 – पौधशाला प्रबंधन / बीज उत्पादन)

उद्यानिकी विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्देश्य :-

राज्य में उद्यानिकी विकास की क्षमता एवं यहां पर उपलब्ध वर्तमान कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य विकसित मशीनरी को देखते हुए आज मानव संसाधन विकास के क्षेत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे उद्यानिकी के क्षेत्र में अतिप्रशिक्षित लोग तैयार होकर निकले एवं वैज्ञानिक आधार पर राज्य में उद्यानिकी से सम्बंधित उद्योगों की स्थापना को मजबूत बनावे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है जिसमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से प्रशिक्षित मानव शक्ति को तैयार किया जावेगा, जो किसानों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी देंगे एवं इस कार्य में उनकी मदद करेंगे।

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना एवं उद्यानिकी फसलों के उन्नत तकनीकी का विस्तार करना है।

उद्यानिकी विषय में प्रारम्भ होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विवरण

1. **पाठ्यक्रम का स्थल** :- “उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान,” रनगुआँ, गढ़ाकोटा, जिला—सागर (म0प्र0)
2. **प्रारम्भ वर्ष** :- शैक्षणिक सत्र 2008—2009 से
3. **उपलब्ध पाठ्यक्रम** :- उद्यानिकी डिप्लोमा दो पाठ्यक्रमों में उपलब्ध हैं
 1. पौधशाला प्रबंधन (नर्सरी मैनेजमेंट)
 2. बीज उत्पादन (सीड प्रोडक्शन)
4. **पाठ्यक्रम की अवधि** :- दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
5. **प्रवेश क्षमता** :- प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 विद्यार्थी (केवल मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से निवास करने वाले विद्यार्थियों हेतु)
6. **पात्रता** :- 10+ 2 पाठ्यक्रम (विषय—कृषि / गणित / जीव विज्ञान)

7. **प्रवेश का आधार** :- मेरिट (प्रावीण्य सूची) के आधार पर (न्यूनतम प्राप्तांक 50% या अधिक)
8. **शिक्षा का माध्यम** :- हिन्दी
9. **सीटों का आरक्षण** :- शासन के नियमानुसार उपलब्ध सीटों का 50 प्रतिशत विभिन्न श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, जो निम्नानुसार है ।

वर्ग	कुल सीटों का प्रतिशत	पौधशाला प्रबंधन	बीज उत्पादन
● सामान्य (Gen)	50	12	12
● अनुसूचित जनजाति (ST)	21	5	5
● अनुसूचित जाति (SC)	15	4	4
● अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14	4	4
योग	100	25	25

नोट : व्यापम के नियमानुसार यदि आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी । आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग के प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे । इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों से भरा जावेगा । जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे ।

10. **छात्रावास सुविधा** :- संस्थान के छात्रावास में सीमित आवास सुविधा उपलब्ध है । बिजली के उपयोग के आधार पर बिजली बिल विद्यार्थियों के द्वारा भुगतान किया जावेगा ।
11. **चिकित्सा सुविधा** :- कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए एक अंशकालिक (Part time) डाक्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।
12. **पुस्तकालय सुविधा** :- पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है ।

13. **शुल्क (फीस) संरचना** :- प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित शुल्क (रुपयों में) लागू होगी

अ. प्रवेश के समय (केवल एक बार)

नामांकन शुल्क	रु. 100 / -
अवधान शुल्क	रु. 500 / -
शिक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20 / -
प्रमाण पत्र शुल्क	रु. 200 / -
पुस्तकालय अवधान शुल्क	रु. 200 / -

योग रु.1020.00

ब. सेमेस्टर (अर्धवार्षिक) शुल्क (प्रति सेमेस्टर)

अध्यापन शुल्क	रु0 1500 / -
पुस्तकालय शुल्क	रु0 200 / -
प्रयोगशाला शुल्क	रु0 200 / -
परीक्षा शुल्क	रु0 250 / -
पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शुल्क	रु0 200 / -

योग रु0 2350.00

स. छात्रावास शुल्क (केवल छात्रावास में रहने वालों के लिए)

अवधान शुल्क (एक बार)	रु0 500 / -
पंजीकरण शुल्क (एक बार)	रु0 100 / -
कमरे का शुल्क (प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर)	रु0 500 / -
विद्युत शुल्क	वास्तविक खर्च

14. **भोजन की सुविधा** :- अतिरिक्त (ठेके एवं सहकारिता के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करना होगा)

15. **परीक्षा प्रक्रिया** :- ज.ने.कृ.वि.वि. के शैक्षणिक नियमानुसार प्रत्येक विषय में निम्न परीक्षाएं होगी ।

1. मिड टर्म (मध्य अवधि) परीक्षा	—	20 अंक
2. प्रायोगिक परीक्षा	—	50 अंक
3. अन्तिम सैद्धान्तिक (थ्योरी) परीक्षा	—	80 अंक

आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. आवेदन पत्र की दो प्रतियां आवेदक द्वारा स्वयं भरना होगा ।
2. आवेदन पत्र भरने से पूर्व, दी गई संक्षिप्त जानकारी को आवेदक सावधानी पूर्वक पढ़ लेवें ।
3. निम्नतम योग्यता से नीचे वाले आवेदक कृपया आवेदन न करें ।
4. आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति की दो सेट तैयार करके उसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।
 - अ. अंक सूची (10+2) जिसमें जन्म तारीख स्पष्ट रूप से अंकित हो ।
 - ब. हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र जिसमें सही जन्मतिथि हो ।
 - स. दो पासपोर्ट आकार का फोटो (जो आवेदन पत्र में चिपका हो)
 - ड. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)
 - द. गेप प्रमाण पत्र
 - ध. मूल निवासी प्रमाण पत्र
 - न. जाति प्रमाण पत्र
 - त. आय प्रमाण पत्र
 - थ. चिकित्सा प्रमाण पत्र
 - द. अन्य प्रमाण पत्र

नोट :- सभी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए ।

5. आवेदन पत्र डाक के द्वारा या स्वयं के द्वारा, प्रकाशित विज्ञापन अथवा बेबसाईट में दी गई **अन्तिम तिथि 20 अगस्त 2009** तक निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए ।

अधिष्ठाता, कृषि संकाय
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय
पो.आ. अधारताल
जबलपुर (म0प्र0) 482004

6. निर्धारित तिथी के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र एवं अधूरे भरे हुए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
7. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा (10 से0मी0 X 22 से0मी0 आकार का), जिसमें उसका पता लिखा हो एवं पांच रूपये का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करें ।
8. विश्वविद्यालय द्वारा चुने गए आवेदकों की सूची सूचना बोर्ड में लगाई जावेगी तथा उनके पते पर प्रवेश पत्र सामान्य डाक द्वारा भेजा जावेगा ।
9. जिन आवेदकों का चयन नहीं हो सका, उनके आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई विचार नहीं होगा । तथा उन्हें कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
10. अधिक जानकारी के लिए कृपया दूरभाष क्रमांक 0761-2681200 पर सम्पर्क करें, या वि0वि0 की बेबसाईट www.jnkvv.nic.in को देखें ।
11. आवेदन पत्र के साथ रू0 150/- (रुपये एक सौ पचास मात्र) का पोस्टल आर्डर या बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें जो " जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर " को देय हो ।



आवेदन क्रमांक



जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 004 (म.प्र.)
उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआँ, गढाकोटा, जिला-सागर (म.प्र.) में
डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन

फोटो
चिपकाये

- डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम, जिसमें प्रवेश चाहिए (विकल्प कोई एक) 1. _____
(विकल्प जो एक बार दे दिया वह बदला नहीं जावेगा)
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :- _____
(अंग्रेजी में) :- _____
(हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर)
- जन्म तिथि एवं उम्र (वर्ष में) _____
- पिता का नाम :- _____
- व्यवसाय एवं पूरा पता :- _____
- पिता की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) :- _____
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- जाति :- (सामान्य / अनु0जाति / अनु0जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) :- _____
(सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- अ. (स्थायी पता) :- _____
(मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
ब. पत्राचार के लिए पता एवं फोन नं. (यदि हो तो) :- _____

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण किया	बोर्ड का नाम	स्कूल का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	विषय जो लिया
1						
2						
3	अन्य					

10. पोस्टल आर्डर / बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि (रुपये) _____ क्रमांक _____ दिनांक _____
जो "जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर" की ओर देय हो ।

11. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

टीप : प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की दो छायाप्रति, जो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो, को अवश्य संलग्न करें ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन क्रमांक

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 004 (म.प्र.)



उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआँ, गढाकोटा, जिला-सागर (म.प्र.) में

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन

फोटो
चिपकाये

- डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम, जिसमें प्रवेश चाहिए (विकल्प कोई एक) 1. _____
(विकल्प जो एक बार दे दिया वह बदला नहीं जावेगा)
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :- _____
(अंग्रेजी में) :- _____
(हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर)
- जन्म तिथि एवं उम्र (वर्ष में) _____
- पिता का नाम :- _____
- व्यवसाय एवं पूरा पता :- _____
- पिता की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) :- _____
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- जाति :- (सामान्य / अनु0जाति / अनु0जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) :- _____
(सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- अ. (स्थायी पता) :- _____
(मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
ब. पत्राचार के लिए पता एवं फोन नं. (यदि हो तो) :- _____

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण किया	बोर्ड का नाम	स्कूल का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	विषय जो लिया
1						
2						
3	अन्य					

10. पोस्टल आर्डर / बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि (रुपये) ----- क्रमांक ----- दिनांक -----
जो "जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर" की ओर देय हो ।

11. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

टीप : प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की दो छायाप्रति, जो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो, को अवश्य संलग्न करें ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)